कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 2858 / 12-1 : देहरादूनःदिनांकः 29 मई, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक, (के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः—जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी मणजूली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 कि0मी0 2–4 से चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग हेतु 0.9975 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK /ROAD/151193/2022)**

सन्दर्भः—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/72/2022/एफ0सी0/1363 दिनांक 25—02—2025।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चाही गई वॉछित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 1396/12–1 दिनांक 15.5.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	As per the DSS analysis, the proposed diversion area comes to 4.00 ha instead of 0.9975 ha. Clarification in this regard shall be submitted.	बिन्दु सं0–1 के अनुपाल में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव की के0एम0एल0 फाईल का कुल क्षेत्रफल 4.00 है0 के स्थान पर संशोधित कर परिवेश पोर्टल के भाग–01 में अपलोड कर दी गयी है, जिसमें सिविल सोयम वन भूमि का क्षेत्रफल 0.9975 है0 एवं गैर वन भूमि/नाप भूमि का क्षेत्रफल 2.2785 है0 सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के संरेखण में केवल सिविल सोयम तथा नाप भूमि प्रभावित हो रही है एवं प्रारूप लो0नि0वि0 तथा राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। इस प्रकार मार्ग में कुल 1.425 कि0मी0 लम्बाई तथा 7.00 मी चौडाई में सिविल सोयम भूमि प्रत्यावर्तित की जानी है, जिसका क्षेत्रफल 0.9975 है0 उचित प्रतीत होता है। **(संलग्न–1)**
2	Full KML File of proposed road shall be uploaded	बिन्दु सं0–2 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में आरक्षित

	Non-Forest area with different colors.	वन भूमि प्रभावित नही हो रही है, जिसके फलस्वरूप सिविल सोयम वन भूमि एवं गैर वन भूमि की संयुक्त के0एम0एल0 गठित कर परिवेश पोर्टल के भाग–01 में यथास्थान अपलोड की गयी है।
3	The proposed diversion area is 0.9975 ha (i.e. almost 1.00 ha.). In this regard, a clarification from DFO is required after recheck the area and if it comes to 1 ha. Then CA shall be applicable over Non-Forest land only.	बिन्दु सं0–3 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव 0. 9975 है0 ही सिविल सोयम वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसका क्षेत्रफल 1 है0 से कम होने की स्थिति में क्षतिपूरक वनीकरण लागू नही है।
4	The KML file of CA area is not uploaded, which is required to be done.	बिन्दु सं0 4 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव 1 है0 से कम होने की स्थिति में क्षतिपूरक वनीकरण लागू नही है।
5	The CA Scheme as per current rate shall be submitted.	बिन्दु सं0 5 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव 1 है0 से कम होने की स्थिति में क्षतिपूरक वनीकरण लागू नही है। प्रकरण में कुल 162 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। अतः अधिनियम के प्राविधानों अनुसार इसके दस गुने 1620 पौधों की क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न की गई है।
6	Location of muck dumping sites on KML file shall be provided by User Agency.	बिन्दु सं0 6 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निसतारण स्थल के बिन्दु के0एम0एल0 फाईल में सम्मिलित करते हुये परिवेश पोर्टल के भाग–1 के पैरा–सी में यथास्थान अपलोड की गयी है।
7	SIR of DFO containing proposal details shall be submitted.	बिन्दु सं0 7 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि अधोहस्ताक्षरी की स्थल निरीक्षण आख्या परिवेश पोर्टल के भाग–2 में यथास्थान अपलोड की गयी हैं, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–2)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम–1980 यथासंशोधित–2023 के अन्तर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एंव नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),

संख्या–2855/ 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एंव नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन विभाग हैल्पलाईन न0–1926 (टोल फ्री)

Phone & Fax no. 0135-2431159 E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0: 2396 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 15 / 05 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी मणजूली मोटर मार्ग के किमी0 6 है0 मी0 2–4 से चीराखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग हेतु 0.9975 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः- **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–08बी0/यू0सी0पी0/06/72/2022/एफ0सी0, दिनांक 25.02.2025 के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर किंचित बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा अपने पत्रांक–2937/12–1, दिनांक 05.05.2025 से प्रस्ताव में जारी कमियों के निराकरणोपरान्त, बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड
पत्रांक सं0 5176
पत्रावली 12-1
दिनांक 20-5-25

भवदीय

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।
08/05/025

पत्रांकः– 28 / **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

प्रभारी टिहरी
आ० का० करें,
प्र० व० सं०/नो०
16-5-25

उत्तराखण्ड वन विभाग हैल्पलाईन न0–1926 (टोल फ्री)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 2937 /12–1 दिनांक 05 / 05 /2025

सेवा में,

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त,
उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

विषय :– **जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी मणजूली मोटर मार्ग के किमी0 6 है0 मी0 2–4 से चीराखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग हेतु 0.9975 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/151193/2022)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार का पत्रांक–08 / बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 72 / 2022 / एफ0सी0, दिनांक 25.02.2025 के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.02.2025 से प्रकरण पर इंगित कमियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक–649 / 33 सी0, दिनांक 01.05.2025 एवं पत्रांक– 506 / 33 सी0, दिनांक 27.03.2025 से बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

क0सं0	प्रस्ताव में जारी कमियों का विवरण	निराकरण आख्या / प्रतिउत्तर
1	2	3
1	As per the DSS analysis, the proposed diversion area comes to 4.00 ha instead of 0.9975 ha. Clarification in this regard shall be submitted.	बिन्दु सं0–01 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्ताव की के0एम0एल0 फाईल का कुल क्षेत्रफल 4.00 है0 के स्थान पर संशोधित कर परिवेश पोर्टल के भाग–01 में अपलोड कर दी गयी है, जिसमें सिविल सोयम वन भूमि का क्षेत्रफल 0.9975 है0 एवं गैर वन भूमि / नाप भूमि का क्षेत्रफल 2.2785 है0 सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के संरेखण में केवल सिविल सोयम तथा नाप भूमि प्रभावित हो रही है एवं प्रारूप लो0नि0वि0 तथा राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। इस प्रकार मार्ग में कुल 1.425 किमी0 लम्बाई तथा 7.00 मी0 चौड़ाई में सिविल सोयम भूमि प्रत्यावर्तित की जानी है, जिसका क्षेत्रफल 0.995 है0 उचित प्रतीत होता है। **(प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–15.1)**
2	Full KML file of proposed road shall be uploaded showing Forest area and Non-Forest area with different colors.	बिन्दु सं0–02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नही हो रही है, जिसके फलस्वरूप सिविल सोयम वन भूमि एवं गैर वन भूमि की संयुक्त के0एम0एल0 गठित कर परिवेश पोर्टल के भाग–01 में यथास्थान अपलोड़ की गयी है।
3	The proposed diversion area is 0.9975 ha (i.e. almost 1.00 ha). In this regard, a clarification from DFO is required after recheck the area and if it comes to 1 ha then CA shall be applicable over Non-Forest Land only.	बिन्दु सं0–03 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में 0.9975 है0 ही सिविल सोयम वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसका क्षेत्रफल 01 है0 से कम होने की स्थिति में क्षतिपूरक वनीकरण लागू नही है।
4	The KML file of CA area is not uploaded, which is required to be done.	बिन्दु सं0–04 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्ताव 01 है0 से कम होने की स्थिति में क्षतिपूरक वनीकरण लागू नही है।
5	The CA scheme as per current rate shall be submitted.	बिन्दु सं0–05 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्ताव 01 है0 से कम होने की स्थिति में क्षतिपूरक वनीकरण लागू नही है।
6	Location of muck dumping sites on KML file shall be provided by User Agency.	बिन्दु सं0–06 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण स्थल के बिन्दु के0एम0एल0

		फाईल में सम्मिलित करते हुये परिवेश पोर्टल के भाग–01 के पैरा–C में यथास्थान अपलोड़ की गयी है।
7	SIR of DFO containing proposal details shall be submitted	बिन्दु सं0–07 के अनुपालन में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की स्थल निरीक्षण आख्या परिवेश पोर्टल के भाग–02 में यथास्थान अपलोड़ की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्न–02)**

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / **दिनांकित।**

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर मु0–कीर्तिगनर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन विभाग
भागीरथी वृत्त प्राप्ति 5163 पत्रावली 12-1 दिनांक 08/05/2025
उत्तराखण्ड

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

C.F., B.C.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

UTTARAKHAND

Phone no./Fax no. 01370-260070 **mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com**

पत्रांक 649 / 33 सी दिनांक 07 / 05 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती ऋषिकेश।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेड़ी–मणजुली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 हे0मी0 2–4 में चौरीखाल–सिरवाड़ी–काण्ड़ा मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य की वनभूमि पत्रावली प्रेषण के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/151193/2022)

सन्दर्भ– आपका पत्रांक सं0–2880 / 12–1 दिनांक 30.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव दिनांक 19.04.2025 को ऑन लाईन आपत्तियों में इस खण्ड़ को वापस किया गया है। जिसका निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	परिवेश पोर्टल के भाग–। में अपलोड़ के0एम0एल0 फाईल का अवलोकन करने पर पाया गया है कि मोटर मार्ग के प्रत्यावर्तित क्षेत्र का क्षेत्रफल 4.00 हे0 प्रदर्शित हो रहा हैं जबकि आपके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर में प्रत्यवर्तित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.9975 हे0 अवगत कराया गया है। कृपया के0एम0एल0 फाईल को प्रस्तावित क्षेत्रफल के अनुरूप संशोधित करते हुए परिवेश पोर्टल के भाग–। में यथा स्थान अपलोड़ करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–15.1 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार मार्ग के संरेखण में केवल सिविल सोयम (0.9975 हे0) तथा नाप भूमि (2.1525 हे0) प्रभावित हो रही है इस प्रकार मार्ग में कुल 1.425 कि0मी0 लम्बाई तथा 7.00 मी0 चौड़ाई में सिविल सोयम भूमि प्रत्यावर्तित की जानी है, जिसका क्षेत्रफल 0.9975 हे0 उचित प्रतीत होता है। प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई 4.500 कि0मी0 एवं 7.00 मी0 चौड़ाई का के0एम0एल0 संशोधित कर पुनः अपलोड़ किया जा रहा है।
2	परिवेश पोर्टल के भाग–। में अपलोड़ के0एम0एल0 फाईल का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आपके द्वारा के0एम0एल0 में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये है। कृपया के0एम0एल0 फाईल में मलवा निस्तरण स्थलों को दर्शाते हुये परिवेश पोर्टल के भाग–। में यथा स्थान अपलोड़ करें।	के0एम0एल0 में मलवा निस्तारण स्थल अंकित कर परिवेश पोर्टल के भाग–। में यथा स्थान अपलोड़ कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि आपका पत्र सं0–2370 / 12–1 दिनांक 17.03.2025 के बिन्दु सं0–2 के क्रम में अवगत कराना है कि के0एम0एल0 में प्रस्तावित मार्ग पर वानिकी एवं गैरवानिकी भूमि को अलग–अलग रंगों से दर्शाया जाना सम्भव नहीं है। उक्त हेतु टोपोशीट मानचित्र संलग्न किया गया है जिसमें वानिकी एवं गैरवानिकी भूमि को अलग–अलग रगों से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

(इं0 धीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 506 /33 सी दिनांक 27 /03 /2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेड़ी मणजुली मोटर मार्ग के कि0मी0 6 हे0मी0 2–4 से चौरीखाल–सिरवाड़ी–काण्ड़ा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य की वनभूमि पत्रावली प्रेषण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – आपका पत्रांक सं0–2370/12–1 दिनांक 17.03.2025

महोदय,

विषयगत कार्य हेतु आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार से ऑन लाईन प्राप्त 07 कमियां अग्रसारित की गई है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया प्रकरण का एक बार पुनः संज्ञान लेने का कष्ट करें। जिस हेतु बिन्दुवार आख्या निम्नवत है

क्र0 सं0	प्रश्न विवरण	उत्तर
1	As per the DSS analysis, the proposed diversion area comes to 4.00 ha instead of 0.9975 ha. Clarification in this regard shall be submitted.	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप–15.1 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार मार्ग के संरेखण में केवल सिविल सोयम तथा नाप भूमि प्रभावित हो रही है एवं प्रारूप लो0नि0वि0 तथा राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। इस प्रकार मार्ग में कुल 1.425 कि0मी0 लम्बाई तथा 7.00 मी0 चौड़ाई में सिविल सोयम भूमि प्रत्यावर्तित की जानी है। जिसका क्षेत्रफल 0.995 हे0 उचित प्रतीत होता है।
2	Full KML file of proposed road shall be uploaded showing Forest area and Non forest area with different colors.	खण्ड़ द्वारा उपलब्ध कराये गये रफ के0एम0एल0 पर मुख्य वन संरक्ष आई0टी0जी0सी0 वन मुख्यालय उत्तराखण्ड़ 85 राजपुर रोड़ देहरादून से प्राप्त के0एम0एल0 फाईल, जियो रेफरेन्स फाईल एंव टोपो मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न किये गये है।
3	The proposed diversion area is 0.9975 ha (ie almost 1.00 ha) in this regard a clarification from DFO is required after recheck the area and if it comes to I ha then CA shall be applicable over Non Forest Land Only.	बिन्दु सं0–1 के अन्तिमीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जाने योग्य।
4	The KML file of CA area is not uploaded which is required to be done.	बिन्दु सं0–1 के अन्तिमीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जाने योग्य।
5	The CA Scheme as per current rate shall be submitted.	बिन्दु सं0–1 के अन्तिमीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जाने योग्य।
6	Location of muck dumping sites on KML file shall be provided by user Agency.	खण्ड़ द्वारा उपलब्ध कराये गये रफ के0एम0एल0 पर मुख्य वन संरक्ष आई0टी0जी0सी0 वन मुख्यालय उत्तराखण्ड़ 85 राजपुर रोड़ देहरादून से प्राप्त के0एम0एल0 फाईल, जियो रेफरेन्स फाईल एंव टोपो मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न किये गये है। जिसमें जियो रेफरेन्स मानचित्र में समस्त मलवा निस्तारण स्थल दर्शाये गये है।
7	SIR of DFO containing proposal details shall be submitted.	आपके स्तर से निस्तारित किये जाने है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु
29/3/2025

(इं0 धीरेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक /33 सी दिनांक / /2025

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

आर.न. 3773/12-1
दिनांक. 29/03/2025
ह0 आर.क
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनि-की-रेती

संलग्न - 01

046

प्रारुप–15.1

परियोजना विवरण :– जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चिलेडी–मणजुली मोटर मार्ग के किमी0 6 हेमी0 2–4 से चौरीखाल–सिरवाडी–काण्डा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लॉक	खाता सं0	कुल रकवा (हे0)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
सिविल सोयम	टिहरी गढ़वाल	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर					
		महायोग				1425	7.00	0.9975
वन पंचायत	–	–	–	–	–	–	–	–
योग सिविल भूमि –		–						
नाप भूमि	टिहरी	कीर्तिनगर				3075	7.00	2.1525
डम्पिग जोन1, 2						2x24.00	12.00	0.0576
डम्पिग जोन 3						24.00	15.00	0.036
डम्पिग जोन 4						27.00	12.00	0.0324
योग नाप भूमि								2.2785
महायोग	–	–						3.2760

अपर सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

रा0 उ0 नि0 क्षेत्र चिलेडी
तहसील कीर्तिनगर
जिला टिहरी गढ़वाल।

राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील– कीर्तिनगर

तहसीलदार
तहसील– कीर्तिनगर

23/09/21

उपजिलाधिकारी
कीर्तिनगर
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप—7

संलग्न -02

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Public Work Department Kirtinagar** (for diversion under FCA-1980) of **0.9975 ha.** Of forest land for non-forestry purpose.

The project envisages the use of forest land **Chorikhal-Sirwadi-Kanda Motor Road.** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 20**/04/2022.**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-Classed/Other Forest measuring: **- 0.9975 Ha. Civil +0.00 Ha. Reserve Forest + 0.00 Ha. Van Panchyat Land = Total 0.9975 Ha.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is base minimum required for the project. : - **Yes**

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: - **No**

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required. - **No**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. :- **Yes**
b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per Para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. :- **No.**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal Project is recommended for acceptance. **Recommended in Public Interest.**

Place:- Muni-ki-reti

Date :- 20/ **04 /2022**

(Signature)

Name- Rajiv Dhiman
Designation – DFO
Narendra Nagar.
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि–की–रेती

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/72/2022/एफ.सी. **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद- टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चिनेड़ी-मणजुली मोटर मार्ग के कि0 मी0 06 कि0 मी0 2-4 से चैरींखाल-सिरवाड़ी-काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9975 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/151193/2022).

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1449/12-1: देहारादून: दिनांक 22-11-2024 (received online on 15.01.2025).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.10.2022 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमे कुछ त्रुटियाँ पाई गई है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः-

1. As per the DSS analysis, the proposed diversion area comes to 4.00 ha instead of 0.9975 ha. Clarification in this regard shall be submitted.
2. Full KML file of proposed road shall be uploaded showing Forest area and Non-Forest area with different colors.
3. The proposed diversion area is 0.9975 ha (i.e. almost 1.00 ha). In this regard, a clarification from DFO is required after recheck the area and if it comes to 1 ha then CA shall be applicable over Non-Forest Land only.
4. The KML file of CA area is not uploaded, which is required to be done.
5. The CA scheme as per current rate shall be submitted.
6. Location of muck dumping sites on KML file shall be provided by User Agency.
7. SIR of DFO containing proposal details shall be submitted.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 25-02-2025 13:04:08

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।